①

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI.

Original Application No. 670 of 2018

(With order dated 07.07.2020)

In the matter of –

Atul Singh Chauhan .... **Applicant**

Versus

M.O.E.S. & C.C. & Others. .... **Respondents**

The applicant in the aforesaid matter submits as under:-

1. That in the aforesaid matter in the light of oversight committee recommendation dated 04.07.2020 the order dated 07.07.2020 has been passed by the Hon'ble Tribunal directing the respondents for further action in the terms of the aforesaid recommendation.
2. That the report/recommendations submitted by the oversight committee is based on mis-leading report of the State Authorities ignoring the facts that on the spots in question illegal mining is still continuing.
3. That the State Authorities are continuously providing excess to anti-social elements and illegal mining workers against the directions made by the Hon'ble Tribunal as well as violating the statutory provisions of the law.
4. That the administration has registered several First Information Reports only to avoid their own skin but till date they have done nothing for the investigation purposes as well as submission of the charge sheet.
5. That although in some cases the charge sheet has been submitted but the mining department is not pursuing the

case to prosecute the persons who are running illegal mining works against the Environment by substituting one and another. However the Police state authorities are taking the action on their own instance but the mining department has not established any mechanism and mining check post to prevent the illegal mining. This fact has already been mentioned in the minutes of Hon'ble Justice Rajesh Kumar dated 11.6.2019 which is on record.

6. That the sands which were seized in illegal mining has been sold out by the mining department but no environmental damages have been assessed by the authorities and the Hon'ble Tribunal may be pleased to direct the authorities to assess the environmental damages and recover the same from the guilty persons.
7. That whatever action has been mentioned before the oversight committee by the State Authorities is only on papers and no appropriate and legal action has been taken against the illegal mining works.
8. That illegal transportation of the sands and *gitti bolders* is continuing and reporting of such transportation has been made in the several news items. The true copy of the news items is being filed herewith and marked as **Annexure No. 1** to this application.
9. That the photographs have also been taken of the vehicles involved in overloaded transportation of illegal mining items. The true copy of the photographs with lat. & long. are being filed herewith and marked as **Annexure No. 2** to this application.
10. That no assessment of the damages has been made and no liability of guilty persons has been fixed by the state

authorities and inspite of the order dated 07.07.2020 and previous order no action has been taken for the calculation of Environmental clearance till date.

11. That the huge quantity of the sand stocks has been installed by the illegal mining works. The photographs being annexed with the application will show the height of collection of the sand which are in triple of the stipulated measurement. The true copy of the photographs of the sand stock in District-Kaushambi and Prayagraj is being filed herewith and marked as **Annexure No. 3** to this application.

12. That the grievances made in original complaint have not been entertained till date by the state authorities and they are mis-representing the issues before the oversight committee and in this way no appropriate order could have been passed against the state authorities in record to recovery of damages.

13. That it is relevant to mention here that in the aforesaid report dated 24.6.2019, Respondent No. 3 prohibited the mining work in the District-Prayagraj in the expectation that the lease may be cancelled and fresh allotment may be made after preparation of Fresh District Survey Report. The true copy of the enquiry report dated 24.6.2019 forwarded to Principal Secretary, Geology and Mining U.P., District Magistrate; Prayagraj is being filed herewith and marked as **Annexure No. 4** to this application.

14. That the aforesaid report has not complied with till date and without preparing any District Survey Report only on the technical committee report, notification for fresh allotment has been made. The same illegality is being

A

committed in the subsequent notification in regard to the allotment.

15. That by the perusal of the aforesaid report and fresh notification without any D.S.R. itself indicate that the intention of the state authorities is not bonafide and transparent as has been laid down by the Hon'ble Tribunal as well as the Hon'ble Apex Court.

16. That the present application may be taken on record and appropriate order and direction may be issued in the facts and circumstances mentioned therein, otherwise there shall be huge loss of the environment due to illegal mining.

PRAYER

It is, therefore, Most Respectfully prayed that the Hon'ble Tribunal may be pleased to punish the guilty officers and direct the state authorities to take action against illegal mining and assess the environmental loss and to recover the same and to issue a fresh notification only after preparation of District Survey Report as has been provided in the several government orders.

Date: 04.09.2020

Time:

Applicant

A

Annexure - No - 1

5

03 हिन्दुस्तान

33.9°

अचानक बढ़ा यमुना का जलस्तर, त

भटौती पहाड़ी से गिट्टी लादकर जाते समय पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़ा

मेजा में ओवरलोड 17 ट्रक सीज, 12 का किया चालान

प्रयागराज 2

टिव, चार की मौत

2 में अब भी कोविड का वायरस सक्रिय

स्मार्ट पुलिस की वर्दी में होंगे खुफिया कैमरे

अवैध बालू की गाड़ी पास कराने पर सिपाही सस्पेंड

सीना छलनी

अवैध खनन के गवाह सौ से अधिक मुकदमे

2000

700 51

3

बारा में अवैध खनन व परिवहन जारी

पट्टे की आड़ में सिलिका बालू का अवैध खनन

Reliance Jewels

A

A -1a

(6)

प्रयागराज - शनिवार - 30 मई 2020

अमर उजाला कौशाम्बी amarujala.com

बालू से ओवरलोड 11 ट्रकों संग दो पासर गिरफ्तार, भेजा जेल

किसी भी गाड़ी में नहीं था रवन्ना, नौ में नंबर प्लेट भी थी फर्जी, गुरुवार रात की गई कार्रवाई

संवाद न्यूज एजेंसी

पश्चिमशरीरा। एआरटीओ और स्थानीय पुलिस ने गुरुवार रात दो पासरों को ओवरलोड बालू लदे 11 ट्रकों के साथ गिरफ्तार किया। किसी भी ट्रक में रवन्ना नहीं था। नौ वाहनों के तो नंबर प्लेट भी फर्जी थे। पूछताछ के बाद पासरों को जेल भेज दिया गया है।

एआरटीओ शंकर जी सिंह को गुरुवार रात सूचना मिली कि पश्चिमशरीरा इलाके के यमुना घाटों से कुछ ट्रकें ओवरलोड बालू लादकर आ रही हैं। खबर मिलते ही एआरटीओ ने एसओ राजेश सिंह के साथ मिलकर स्थानीय चौराहे पर नाकेबंदी कर दी। एसओ के मुताबिक ट्रकों के आगे एक कार से पासर गुफरान पुत्र इफ्तेखार व इस्लाम पुत्र मकबूल निवासी महमदपुर थाना कोखराज चल रहे थे। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही सभी 11 ट्रक भी पकड़ लिए गए। पूछताछ की गई तो ओवरलोड ट्रकों के चालक रवन्ना नहीं दिखा पाए। जांच में पता चला कि नौ ट्रकों की नंबर प्लेट भी फर्जी है। जानकारी पाकर रात को ही एआरटीओ ने अपने स्तर से जांच की। ट्रकों को सीज कर दिया गया है। एसओ की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की गई है।

पश्चिमशरीरा कोतवाली के पास खड़े ओवरलोड बालू लदे ट्रक।

वहीं जिलाधिकारी ने पांच रोज पहले ही बालू पट्टाधारकों के साथ बैठक की थी। इसमें कहा था कि कोई भी ट्रक ओवरलोड पकड़ा गया तो संबंधित घाट के पट्टेधारक के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। अधिकारियों ने पट्टा निरस्त करने तक का अल्टीमेटम दिया था। इसके बाद भी पट्टाधारक मान नहीं रहे हैं। पश्चिमशरीरा पुलिस ने गुरुवार रात जिन 11 ट्रकों को पकड़ा, वे सभी ओवरलोड थे। अब सवाल उठता है कि आखिर जिस घाट से बालू लाई गई थी, उसके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं कराई जा रही है। नाम नहीं छापने की शर्त पर कुछ बालू कारोबारियों ने बताया कि पट्टाधारक कार्रवाई से बचने के लिए ओवरलोड बालू तो दे देते हैं, लेकिन रवन्ना नहीं देते हैं। पकड़े गए ओवरलोड ट्रकों को भी रवन्ना नहीं दिया गया था। घाट संचालक के खिलाफ कार्रवाई कब होगी। इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है।

'कोई सामने आए तो चढ़ा देना गाड़ी'

पश्चिमशरीरा(संवाद)। एसओ राजेश सिंह ने बताया कि पकड़े गए पासर वाहन मालिकों से उनकी गाड़ी पास कराने का रुपये लेते थे। ये काम वो काफी दिनों से कर रहे थे। वहीं पूछताछ में ट्रक चालकों ने पुलिस को बताया कि पासर ने उनसे कहा था कि रास्ते में कोई अधिकारी रोके तो उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जाए। पश्चिमशरीरा पुलिस पूरी तैयारी के साथ थी। गनीमत रहा कि कोई दुर्घटना नहीं हुई।

A

भुगतान नहीं किया गया। मंगलवार को

पट्टाधारक पनचक्की लगाकर यमुना से निकाल रहे बालू

चायल/लेकर | हिन्दुस्तान संवाद

यमुना की तराई से निकलने वाले बालू का अवैध खनन माफिया धड़ल्ले से कर रहे हैं। पट्टाधारक रात में पनचक्की लगाकर बालू का खनन कर रहे हैं। पट्टाधारक घाटों से बालू की ओवरलोडिंग कर सरकार को राजस्व का नुकसान कर रहे हैं। लोगों की शिकायत के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई करने में आनाकानी करते हैं।

सरायअकिल और पिपरी थाना क्षेत्र में बालू के खनन के लिए जिला प्रशासन घाटों की नीलामी करता है। जिले के एक-एक घाट करोड़ों रुपए सालाना की दर से नीलाम हुए हैं। बालू की निकासी के लिए अन्य राज्यों से भी व्यवसायियों ने जिले के यमुना घाट का पट्टा हासिल किया है। पिपरी और सराय अकिल थाना क्षेत्र के दर्जन भर यमुना घाटों से बालू खनन के साथ ही पनचक्की और पोकलैंड लगाकर बालू निकासी की जा रही है। जबकि पनचक्की का इस्तेमाल पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अच्छी बालू के लिए पट्टाधारक नियमों को ताक पर रख कर अवैध खनन करवा रहे हैं। पट्टा धारक अवैध खनन के जरिये सरकार को लाखों रुपए का राजस्व चोरी करते हैं। पिपरी थाना क्षेत्र के एक घाट का पट्टा हुआ है। आरोप है कि पट्टाधारक पनचक्की और पोकलैंड से रात के अंधेरे में अवैध खनन कर रहा है। खनन विभाग ने ट्रैक्टर पर 100 फिट, ट्रक व डंफर के लिए 300 से 400 फुट बालू लादने का निर्देश है। इसी आधार पर बालू का रवन्ना जारी किया जाता है। जबकि पट्टाधारक अवैध खनन कर ट्रैक्टरों में दो से तीन सौ, ट्रकों में एक हजार व बड़ी डंपर में हजार से चौदह सौ फुट बालू लदवाते हैं। चायल तहसील क्षेत्र के विभिन्न यमुना घाटों से हर रोज कई हजार वाहनों से बालू की ढुलाई की जा रही है। अवैध खनन की शिकायत पर डीएम, एसपी, खनन अधिकारी स्थानीय पुलिस-प्रशासन के साथ घाटों पर छापा मारने पहुंचते हैं तो उन्हें सब व्यवस्थित मिलता है। यमुना नदी में लगी पनचक्की गायब कर दी जाती है। अधिकारियों के सामने निर्धारित मात्रा में बालू का लदान किया जाता है। इसके बाद रास्ते में ओवरलोड बालू लादे वाहन फर्राटा भरते मिल जाएंगे।

मनमानी

- पिपरी और सरायअकिल थाना क्षेत्र में हो रहा अवैध खनन
- अवैध खनन से सरकार के राजस्व को हो रहा नुकसान

रसूलपुर ब्यूर घाट में पनचक्की से निकाली जा रही बालू। • हिन्दुस्तान

माफिया चला रहे पनचक्की

पिपरी का पट्टाधारक पोकलैंड और पनचक्की लगाकर अवैध खनन कर रहा है। पट्टाधारक को अवैध खनन करते देख एक माफिया ने घाट से 500 मीटर दूर पनचक्की लगाकर अवैध खनन कर रहा है। इसकी शिकायत लोगों ने कई बार स्थानीय तहसील प्रशासन से की। इसके बाद भी अवैध खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। इससे इलाके के मजदूरों में काफी आक्रोश है।

हिन्दुस्तान · प्रयागराज ब्यूरो · 03 जून 2020

A

A - 16

7

⑧

A-1c

खनिज चौकी बंद, बगैर रवन्ना के निकल रहे बालू से ओवरलोड वाहन

जिले के कसारी, ओसा और तिल्हापुर में बैरियर लगाकर चेक होते थे खनिज वाहन

प्रयागराज जिला प्रशासन नहीं ले रहा अवैध खनन व परिवहन रोकने में रुचि

लखनऊ। भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की निदेशक डॉ. रोशन जैकब ने कहा कि प्रयागराज जिला प्रशासन अवैध खनन और परिवहन रोकने में दिलचस्पी नहीं ले रहा है। इससे सरकार को राजस्व का नुकसान होने के साथ ही विभाग की छवि भी धूमिल हो रही है। शनिवार रात सुल्तानपुर व अमेठी में जांच के दौरान 11 वाहन सैंडस्टोन गिट्टी के पाए गए। इनमें से तीन वाहनों में ई-एमएम (रवान्ना पर्ची) में अंकित मात्रा से अधिक खनिज ढोया जा रहा था। पांच वाहन बिना परिवहन

कौशांबी और चित्रकूट के जिला खान अधिकारी को चार्जशीट

प्रपत्र के और तीन वाहनों के परिवहन प्रपत्र फर्जी पाया गया। उन्होंने बताया कि जांच में पता चला कि सभी वाहन प्रयागराज से आ रहे थे। इससे साफ है कि प्रयागराज जिला प्रशासन निरीक्षण में कोई रुचि नहीं ले रहा। उन्होंने प्रयागराज के जिलाधिकारी को खनिज परिवहन करने वाले वाहनों का प्रभावी निरीक्षण करने के निर्देश दिए।

डॉ. जैकब ने बताया कि शनिवार को प्रदेश भर में 135 वाहनों में अवैध परिवहन होता पाया गया। इन वाहनों के चालक, मालिक, खनन पट्टाधारक और स्टोन क्रेशर मालिकों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की जाएगी। वहीं, चित्रकूट और कौशांबी के जिला खान अधिकारी को खनन पट्टों, स्टोन क्रेशर व उप खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों की जांच व माप में लापरवाही बरतने पर चार्जशीट सौंपी गई है। ब्यूरो

A

A-1d

(9)

दैनिक जागरण, प्रयागराज
30 मई 2020

www.jagran.com

शुक्रवार की सुबह पश्चिमशरीरा मार्ग से गुजरते ओवरलोड बालू वाले ट्रक • जागरण

सीसीटीवी कैमरा फेल, घाटों से निकल रहे ओवरलोड वाहन

संसू, पश्चिमशरीरा : बालू के अवैध खनन व वाहनों में हो रही ओवरलोडिंग को रोकने के लिए पट्टे पर आवंटित किए गए यमुना घाटों में सीसीटीवी कैमरा व कांटा लगाए हैं, लेकिन अधिकतर घाटों के सीसीटीवी फेल हो गए हैं। साथ ही वाहनों की तौल नहीं कराई जाती है। इसकी वजह से सड़कों पर ओवरलोड वाहन फर्राटा भर रहे हैं। इससे सड़क क्षतिग्रस्त और आए दिन हादसे हो रहे हैं। शुक्रवार को भी दो जगह राहगीर बालू के ओवरलोड वाहनों की चपेट में आए।

जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने जिम्मेदार अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया है। इसके बावजूद बालू से ओवरलोड सैकड़ों वाहन प्रतिदिन निकाले जाते हैं। पश्चिमशरीरा क्षेत्र के संदीप, रमेश, अरुण आदि का कहना है कि सड़क में गड्ढे हो गए हैं।

> ओवरलोड वाहनों को रोकने के लिए टीम बनाई गई है। जो समय-समय पर अभियान चलाकर कार्रवाई करती है। यदि घाटों पर वाहनों को कांटा नहीं किया जाता है तो यह गंभीर मामला है। इसकी जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी।
>
> मनीष कुमार वर्मा, डीएम

प्रयागराज - बुधवार - 3 जून 2020

अमर उजाला | कौशाम्बी-आसपास

आवंटित खंड से बाहर मानक के विपरीत खनन पर होगी कार्रवाई

चायल क्षेत्र के सैदपुर रुसहाई बालू घाट पर जिलाधिकारी-पुलिस अधीक्षक ने मारा छापा

A

Annexure - No - 2

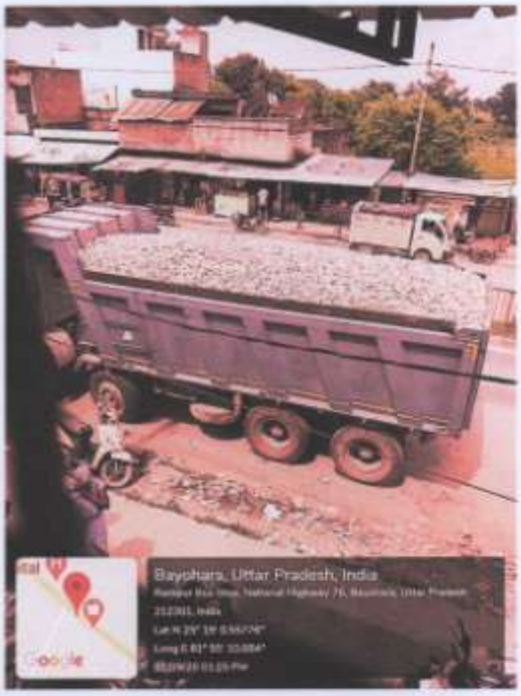

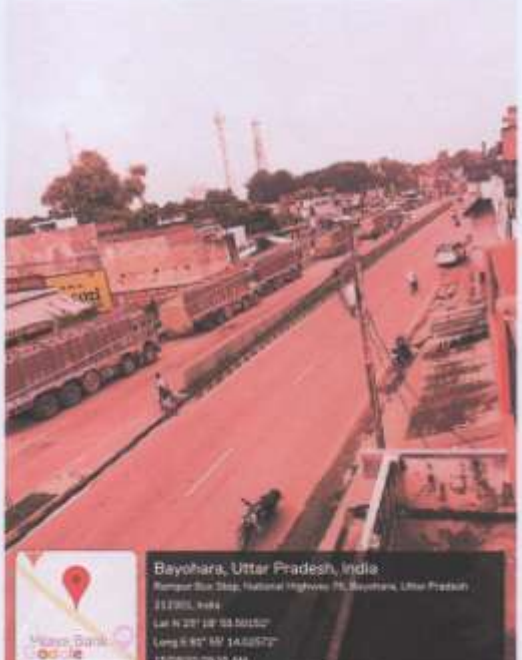

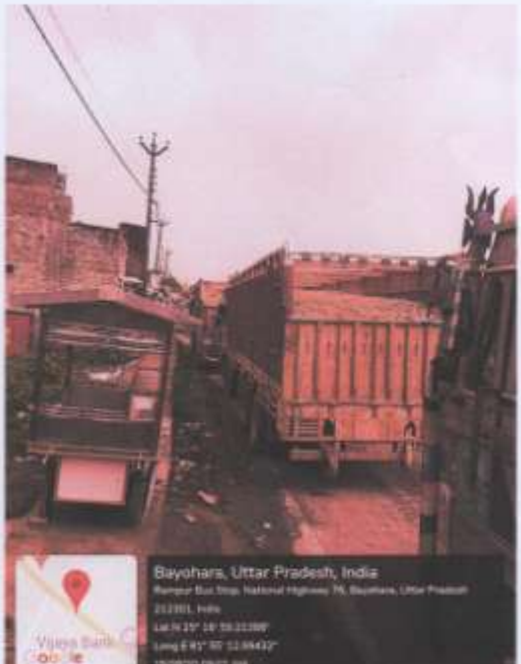

A

A - 29

(11)

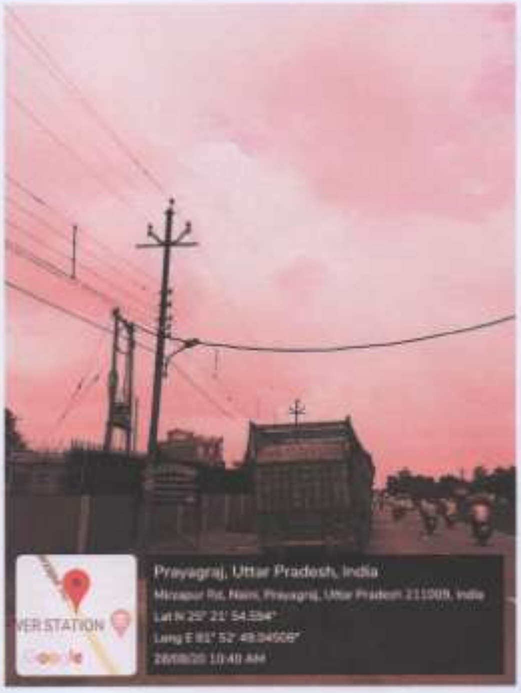
Prayagraj, Uttar Pradesh, India
Lat N 25° 21' 54.594"
Long E 81° 52' 49.04508"
28/08/20 10:40 AM

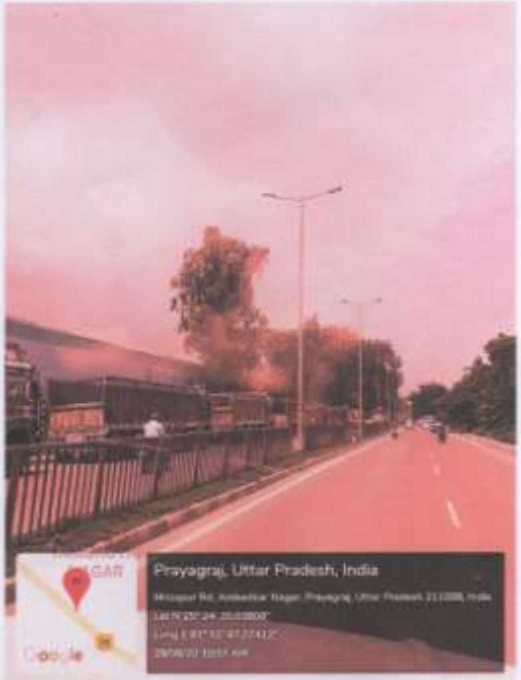
Prayagraj, Uttar Pradesh, India

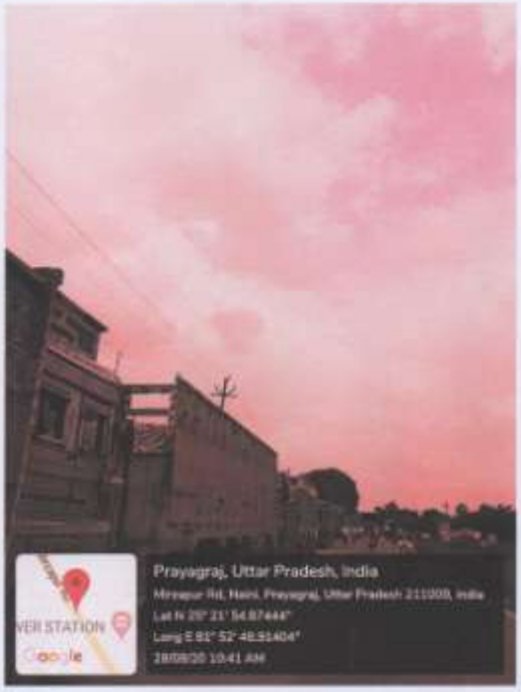
Prayagraj, Uttar Pradesh, India
Lat N 25° 21' 54.87444"
Long E 81° 52' 48.91404"
28/08/20 10:41 AM

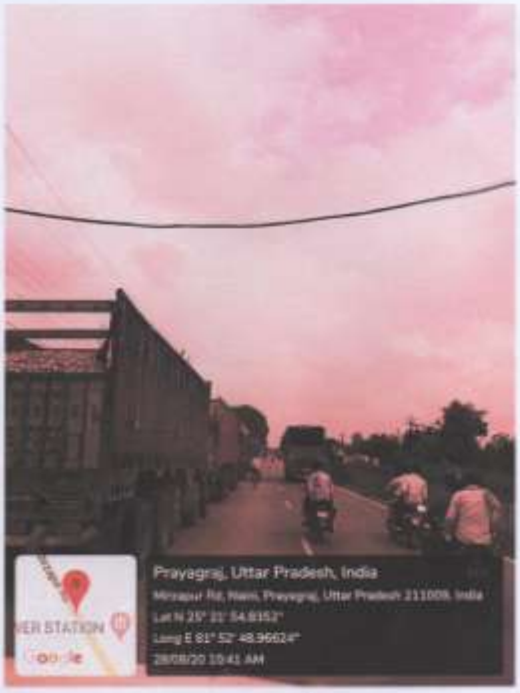
Prayagraj, Uttar Pradesh, India
Lat N 25° 21' 54.8152"
Long E 81° 52' 48.96624"
28/08/20 10:41 AM

A

A-2b (12)

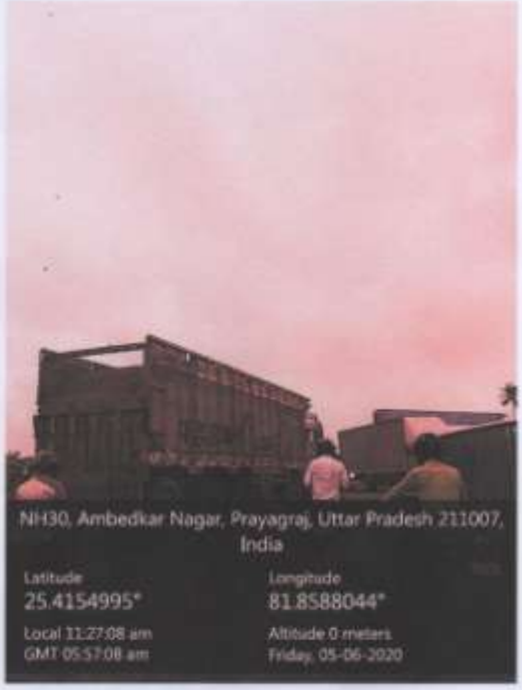
NH30, Ambedkar Nagar, Prayagraj, Uttar Pradesh 211007, India
Latitude
25.4154995°
Longitude
81.8588044°
Local 11:27:08 am
GMT 05:57:08 am
Altitude 0 meters
Friday, 05-06-2020

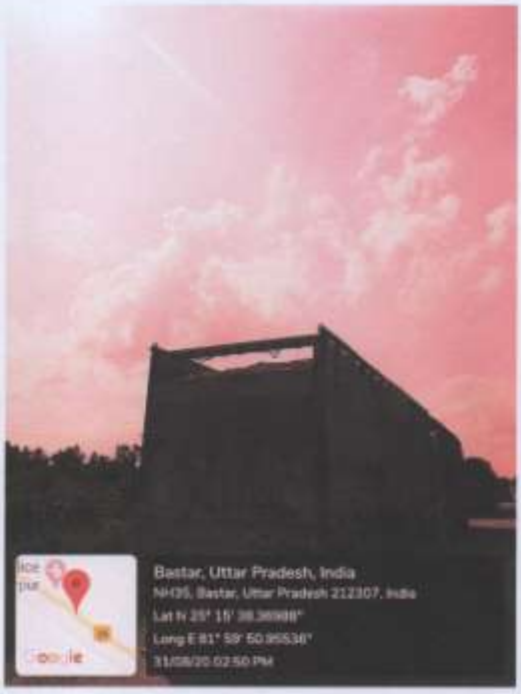
Bastar, Uttar Pradesh, India
NH35, Bastar, Uttar Pradesh 212307, India

A.

A-2c (13)

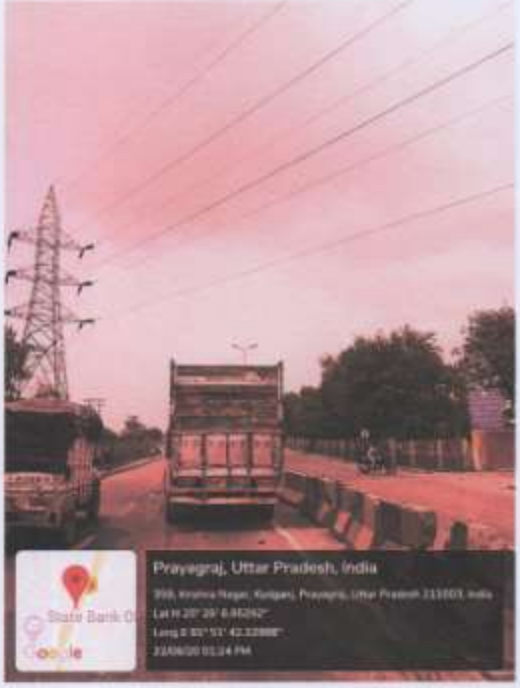
Prayagraj, Uttar Pradesh, India
Google

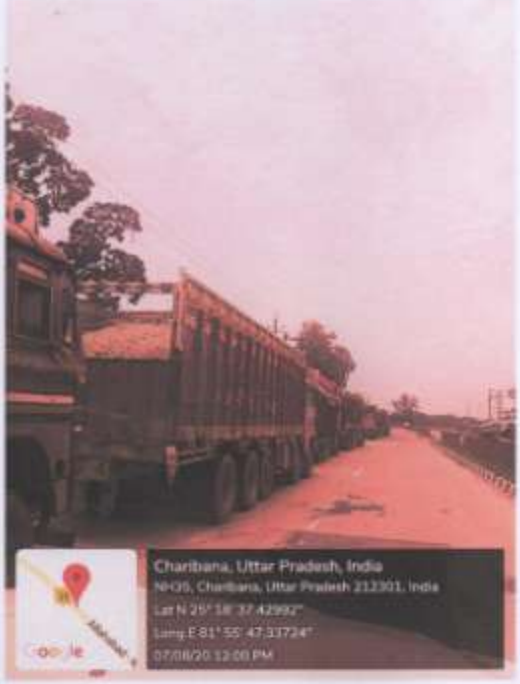
Charibana, Uttar Pradesh, India
NH35, Charibana, Uttar Pradesh 212301, India
Lat N 25° 18' 37.42992"
Long E 81° 55' 47.33724"
07/08/20 12:00 PM
Google

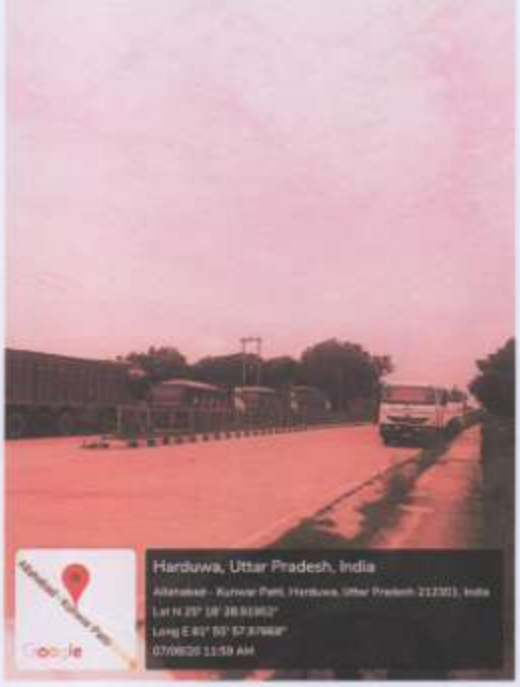
Harduwa, Uttar Pradesh, India
07/08/20 11:59 AM
Google

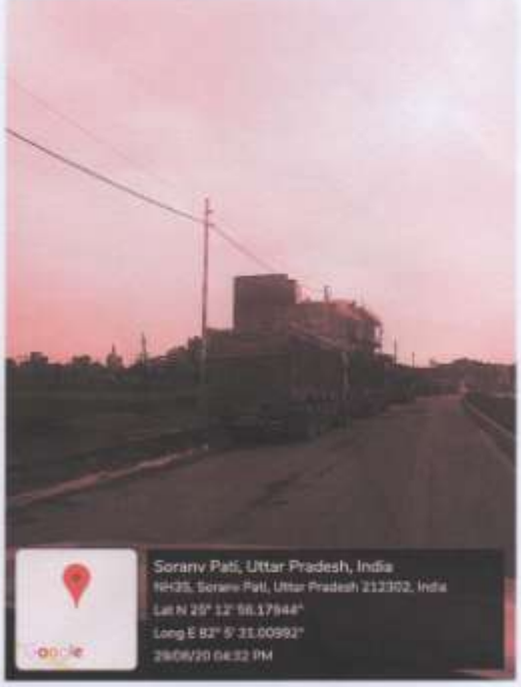
Soranv Pati, Uttar Pradesh, India
NH35, Soranv Pati, Uttar Pradesh 212302, India
Lat N 25° 12' 56.17944"
Long E 82° 5' 31.00992"
29/08/20 04:32 PM
Google

Annexure. No-3

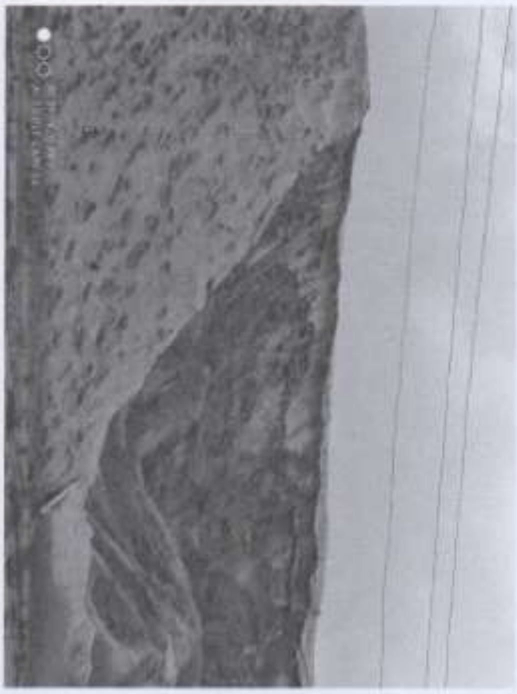

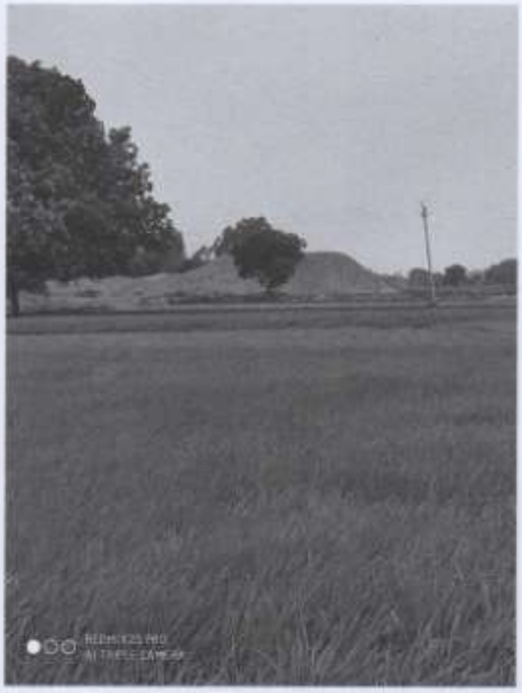

A

A-39 (15)

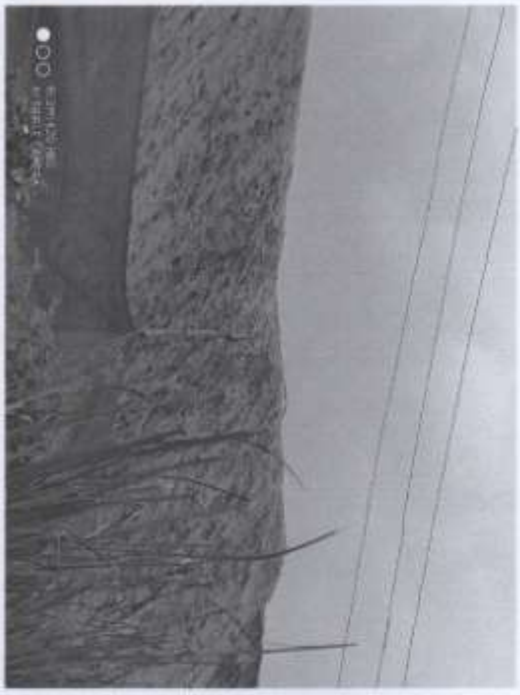

A-3b (16)

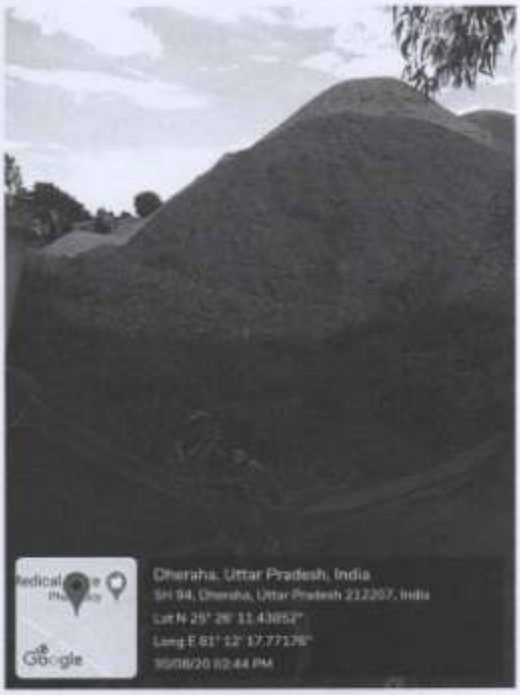

A

Annexure. No - 4

(17)

FAX NO. :2205911 24 Jun. 2019 14:44 P 4

निरीक्षण आख्या

अधोहस्ताक्षरी द्वारा भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, प्रयागराज के साथ दिनांक-22.06.2019 को जनपद प्रयागराज में स्थित ग्राम-आदमपुर, बसवार, कैनुआ, सेमरी, कन्हासा आदि के यमुना नदी में, ग्राम-परानीपुर, रैपुरा आदि के गंगा नदी, ग्राम-मनौली, कोहड़ार आदि के टोन्स नदी तथा बेलन नदी में स्वीकृत खनन पट्टों का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय यमुना नदी, टोन्स नदी एवं बेलन नदी में स्वीकृत समस्त खनन पट्टे नदी की जलधारा में पाये गये। गंगा नदी में स्वीकृत खनन पट्टों के कुछ अंश नदी की जलधारा में पाये गये। उक्त से स्पष्ट है कि जनपद प्रयागराज में बालू के खनन पट्टे स्वीकृत किये जाने में वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देश एवं उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली-1963 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के विपरीत है। उक्त के दृष्टिगत निम्नलिखित कार्यवाही प्रस्तावित है :-

1. जनपद प्रयागराज के यमुना, टोन्स एवं बेलन नदी में मानक के विपरीत नदी की जलधारा में खण्ड बनाकर खनन पट्टे स्वीकृत किये गये है, जो उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली-1963 के नियम-41ज का उल्लंघन है। नदी की जलधारा में खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने से अवैध खनन को बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार यमुना, टोन्स एवं बेलन नदी की जलधारा में स्वीकृत समस्त खनन पट्टों को निरस्त कर Exposed area का सर्वे, सेटेलाईट इमेजरी के माध्यम से करावार क्षेत्र में बालू की उपलब्धता एवं निकासी मार्गों का भौतिक सत्यापन कराकर पुर्नगठन किया जाये। पुर्नगठित क्षेत्रों का डिस्ट्रीक सर्वे रिपोर्ट (डी०एस०आर०) तैयार कराकर समयबद्ध रूप से क्षेत्रों का विज्ञापित कर खनन परिहार स्वीकृत करने की कार्यवाही की जाये।

(कार्यवाही :निदेशालय/जिलाधिकारी प्रयागराज)

2. जनपद प्रयागराज के गंगा नदी में स्वीकृत खनन पट्टों के कुछ अंश नदी की जलधारा में है, जिससे नदी की जलधारा में अवैध खनन होने की सम्भावना बनी रहती है। साथ ही बालू की निकासी जलधारा से होने के कारण निकासी मार्ग भी अवैध है। इन पट्टा क्षेत्रों का पुर्नगठन इस प्रकार कराया जाये कि Exposed area में ही खनन कार्य हो तथा निकासी नदी की जलधारा से न हो।

(कार्यवाही :निदेशालय/जिलाधिकारी प्रयागराज)

3. जनपद प्रयागराज में बालू के स्वीकृत खनन पट्टों के निरस्तीकरण की प्रत्याशा में खनन एवं परिवहन प्रतिबन्धित किया जाता है।

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश
खनिज भवन, लखनऊ

पत्र सं०-516/एम०खनिज/2019 दिनांक :-25 जून, 2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ०प्र० शासन लखनऊ।
2. जिलाधिकारी प्रयागराज।
3. निदेशक कैम्प, मुख्यालय।

(डा० रोशन जैकब)
निदेशक।

126

A